(3)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–..... 91.....सन् 2018–19

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार– **सरकार (अंचल अधिकारी, पण्डौल)** प्रतिपक्षीः– **दिलीप कुमार**

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अर्जीकारः–अंचल अधिकारी, पण्डौल। प्रतिपक्षीः– दिलीप कुमार पिता–राजेन्द्र सिंह, पण्डौल।	आदेश पर की गई कार्रवाई
23-10-2018	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, पण्डौल के पत्रांक–881 दिनांक– 13.09.2018 से प्राप्त जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या–01/2018 में की गई अनुशंसा के आधार पर प्रारम्भ करते हुये प्रतिपक्षी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। सूचना का तामिला अंचल अधिकारी के पत्रांक–933 दिनांक–08.10.2018 से प्राप्त। प्रतिपक्षी को पक्ष रखने हेतु निर्धारित तिथि दिनांक–05.10.2018, 12.10.2018 एवं 22.10.2018 को अवसर दिया गया। किन्तु सूचना तामिला के बावजूद प्रतिपक्षी की ओर से पक्ष नहीं रखा गया। विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हैं। एक पक्षीय सूनवाई करते हुये वाद को आदेशार्थ रखा गया। अंचल अधिकारी, ने आदेशफलक में लिखा है कि मौजा– पंडौल थाना नं. 108 पुराना खाता नं. 1002, खेसरा नं. 876 पुराना जो खतियान में बकास्त मालिक दर्ज है। खेसरा संख्या–876 कई टुकड़ों में विभक्त है जिस पर सरकारी कार्यालय एवं मध्य विद्यालय संचालित किया जा रहा है। इसी खेसरा के अंश भाग केवाला के माध्यम से दिलीप कुमार पिता राजेन्द्र सिंह साकिन–पंझौल के द्वारा खरीद की गई दाखिल खारिज करवाते हुये **जमाबंदी संख्या– 3800** कायम कराया गया जबकि उपरोक्त जमीन सरकारी खाते की है। अंचल अधिकारी ने राजस्व कागजात से मिलान में पाया कि कमिक खतियान में सुगर कम्पनी लिमिटेड के नाम से दर्ज है जिसका खाता– 3601, खेसरा–1659 कुल रकवा 0.71 एकड़ दर्ज है एवं दिलीप कुमार के द्वारा इसी खेसरा में से 13.08 डी0 जमीन कय कर दाखिल खारिज करा लिया गया है जो नियमसंगत नहीं है। अतः उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता की राय है कि अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन सही है। कमिक खतियान में खाता–3601 खेसरा–1659 सुगर कम्पनी लि0 लोहट, दरभंगा के खाते की जमीन है। सरकारी खाते की जमीन का किसी रैयत के नाम अंचल अमला ने अगर जमाबंदी कायम कर दिया है तो वह अवैध है। सरकारी जमीन की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। प्रतिपक्षी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। सूचना का तामिला प्राप्त है। स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी को उक्त जमाबंदी के संबंध में कुछ नहीं कहना है। अतः उक्त जमाबंदी को रद्द की जाय। अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के राजस्व अभिलेख के संरक्षक हैं। सरकार के खाते की जमीन का किसी रैयत के नाम जमाबंदी कायम होना अवैध है। अतः अंचल अधिकारी,पण्डौल से प्राप्त प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा तथा सहायक सरकारी अधिवक्ता की राय से सहमत होते हुये मौजा– पंडौल थाना नं. 108 खाता–3601 खेसरा–1659 जो सरकारी खाते की भूमि है, उसका कायम जमाबंदी संख्या–3800–बनाम– प्रतिपक्षी को रद्द किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पण्डौल को अग्रेत्तर कार्यार्थ भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से	

आदेश की प्रति प्रतिपक्षी को भी उपलब्ध करा देंगे। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी को भी भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित्र

23/10/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

23/10/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।